समस्या

राजधानी में लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं को देखते हुए लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। मालिकों को भवन बनाने से पूर्व यह तय करना होगा कि वहां आग से निपटने की पर्याप्त व्यवस्था हो। वहीं दूसरी ओर जिस दिल्ली अग्निशमन विभाग के पास दिल्ली में आग को बुझाने की जिम्मेदारी है, उसे भी चुस्त दुरुस्त करना होगा। दरअसल विभाग में स्वीकृत पदों की तुलना में करीब 40 फीसद कर्मी कम हैं। इसका असर अग्निशमन कार्यों पर पड़ रहा है। नियम-कायदे होने के बावजूद कर्मियों की कमी के कारण विभाग सिर्फ आग बुझाने का ही दायित्व निभा पा रहा है, जबकि अन्य कार्य नहीं हो पा रहे हैं।

स्थिति

पूर्व में राजधानी में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक अग्निशमन केंद्र की स्थापना की योजना बनाई गई थी। इनमें से वर्तमान में केवल 56 दमकल केंद्र ही कार्य कर रहे हैं, जबकि प्रस्तावित 16 अग्निशमन केंद्र का निर्माण अलग-अलग कारणों से लटका हुआ है। इसका असर आग बुझाने सहित अन्य विभागीय कार्रवाई पर पड़ रहा है, जिसका फायदा भवन मालिक उठा रहे हैं। कर्मचारी नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सिर्फ नोटिस भेजने और जुर्माना लगाने सहित बिल्डिंग के पानी-बिजली के कनेक्शन काटने को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं।

समाधान

दिल्ली अग्निशमन विभाग में कर्मियों के स्वीकृत पद करीब 3700 हैं, लेकिन वर्तमान में करीब 2000 कर्मी ही कार्यरत हैं। कई पदों पर भर्ती के लिए विभाग ने डीएसएसबी को लिखा है, लेकिन गत छह वर्ष से विभाग में एक भी नई भर्ती नहीं हुई है। पुराने कर्मचारी लगातार सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 1980 से पहले की बनी बहुमंजिली इमारतों में पुराने तरीके के अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं, जबकि 2010 में 15 मीटर अथवा इससे ज्यादा ऊंची इमारतों में अग्निशमन उपायों की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद भवन मालिक कानून का पालन नहीं करते हैं।

ऐसे कैसे बुझेगी आग ?

संसद मार्ग स्थित पटेल चौक पर पीएनबी बैंक की इमारत में लगी आग को बुझाते दमकलकर्मी। जागरण

प्रस्तावित फायर स्टेशन

- सिविक सेंटर
- आनंद पर्वत
- चंद्रावल वाटर वर्क्स
- गीतांजली एंक्लेव
- जसोला बदरपुर
- ओखला फेज-वन
- द्वारका सेक्टर-20
- द्वारका सेक्टर-3
- महिपालपुर
- वसंत कुंज
- यमुना विहार
- संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर
- रोहिणी सेक्टर-3
- गोल्डन पार्क रोहतक रोड

तकनीक से लैस हो अग्निशमन विभाग

कुछ दशक पहले तक न तो इतनी आग लगने की घटनाएं होती । थीं और न ही हो-हल्ला। उस वक्त कम ही लोगों को ही पता होता था कि भवन में आग से बचाव के उपाय किए जाने चाहिए। लेकिन दिल्ली में वर्तमान में स्थिति बिलकुल अलग है। राजधानी की आबादी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। निवास अथवा व्यावसायिक कारणों से बहुमंजिली इमारतें बन रही हैं। बिजली और गैस सिलेंडर का लापरवाही से प्रयोग हो रहा है। यह सही है कि बढ़ रही आग की घटनाओं से निपटने के लिए दिल्ली अग्निशमन विभाग को और सशक्त करने की जरूरत है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है आग की घटनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता, क्योंकि विभाग में चाहे कितने भी कर्मी भर्ती कर दिए जाएं और उन्हें संसाधनों से भी लैस कर दिया जाए, लेकिन जब तक लोग लापरवाह रहेंगे, आग की घटनाएं कम नहीं होंगी।

-ए.के. शर्मा
(पूर्व निदेशक, दिल्ली अग्निशमन विभाग)

स्कूलों में बच्चों को पाठयक्रम के माध्यम से आग से बचाव की जानकारी दी जाए ताकि बड़े होकर वे इस ओर ध्यान दें। जहां तक दिल्ली अग्निशमन विभाग में कर्मचारियों की कमी की बात है तो इससे काम पर असर जरूर पड़ रहा है। विभाग में करीब 30 फीसद कर्मचारी कम हैं। कर्मचारियों के चयन के लिए विभाग द्वारा लिखा जा चुका है, लेकिन चयन करने वाले विभाग की देरी के कारण काम अटका पड़ा है। कर्मियों की जल्द भर्ती के साथ अग्निशमन विभाग को तकनीक से भी लैस करना होगा। ऐसा कंप्यूटराइजड सिस्टम विकसित करना होगा, जिससे एक माउस के क्लिक पर पता चल जाए कि कौन से भवन को एनओसी नहीं मिला है और किसका नवीनीकरण करना है।

कंप्यूटराइजड सिस्टम के तैयार हो जाने से लोगों को भागदौड़ भी कम करनी पड़ेगी और विभाग में पारदर्शिता आएगी। कुछ प्रयास शुरू भी किए गए हैं, लेकिन इसके और विस्तार की जरुरत है। जहां तक अग्निशमन के उपायों का पालन नहीं करने के प्रति कड़े कानून नहीं होने की बात है तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। अग्निशमन का सबसे पहला ड्राफ्ट 1983 में आया था। इसके तहत 1980 से पहले के बने भवनों में अग्निशमन रोधी कुछ उपाए करने के बाद उन्हें विभाग द्वारा एनओसी प्रदान करने की अनुमति थी। 1986 में दिल्ली फायर सेफ्टी एक्ट लागू हुआ। इसके तहत पांच मीटर अथवा इससे ऊंचे भवन में आग से बचाव के लिए 12 मानक तय किए गए थे। 2010 में आए दिल्ली फायर सर्विस एक्ट में मानकों की संख्या 20 कर दी गई। कई प्रावधान काफी कड़े थे। भवन में बगैर अग्निशमन उपकरण लगाए उसमें काम शुरू नहीं करने के निर्देश हैं।

(संतोष शर्मा से बातचीत पर आधारित)

भवन मालिक को जेल भेजने का हो प्रावधान

वर्तमान में आग की बड़ी घटनाओं में व्यक्तिगत स्तर पर लापरवाही सामने आती है। बहुमंजिली इमारतें बना दी जाती हैं और वहां अग्निशमन उपकरणों को लगा भी दिया जाता है, लेकिन वे उपकरण काम कर रहे हैं अथवा नहीं, इसपर किसी का ध्यान नहीं दिया जाता है। जब आग लगती है तो पता चलता है कि भवन में आग बुझाने वाले उपकरण काम ही नहीं कर रहे हैं। चूंकि, वातावरण में आर्द्रता कम होने के कारण गर्मी के दिनों में आग तेजी से फैलती है। बचाव नहीं होने से चंद मिनट में ही आग भारी तबाही मचा देती है, जिससे जानमाल को काफी नुकसान पहुंचता है। इस लापरवाही के बावजूद भवन मालिक बच जाता है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि राजधानी के भवनों में आग लगने से बचाव के उपाय नहीं किए जाने के खिलाफ नियम नहीं है। नियम हैं, लेकिन वर्तमान में नियम-कानून को और कड़ा करने की जरूरत है क्योंकि जब लोगों में डर पैदा होगा, तभी वे लापरवाही से बाज आएंगे। लापरवाही सिद्ध होने पर भवन मालिक को जेल भेजे जाने का प्रावधान होना चाहिए। अग्निशमन विभाग को और ताकतवर बनाने की जरूरत है। विभाग में कर्मचारियों और संसाधनों की भारी कमी है। विभाग को पर्याप्त बजट भी नहीं मिलता है। दरअसल, आग बुझाने में प्रयुक्त गाड़ियों और उपकरणों का अपना स्टैंडर्ड होता है और वे काफी महंगे भी होते हैं। यहीं नहीं, आसपास के राज्यों में होने वाली आग की बड़ी घटनाओं में भी दिल्ली अग्निशमन विभाग की टीम को भेजा जाता है। इसलिए जरूरी है कि विभाग को विशेष कर्मियों और उन्नत तकनीकी से लैस किया जाए।

-यूएस छिल्लर
(महासचिव, इंस्टीट्यूशन ऑफ फायर इंजीनियर्स इंडिया)

वहीं पुरानी दिल्ली, अनधिकृत कॉलोनी और झुग्गियों में लगने वाली आग विभाग के लिए अभी भी चुनौती बनी हुई है। वहां, दमकल की गाड़ियों को ले जाने के लिए पर्याप्त चौड़े रास्ते नहीं है। लिहाजा, विभाग को अपने बेड़े में क्यूआरटी सहित छोटी गाड़ियों और आग बुझाने वाली मोटरसाइकिल की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। विदेश की तरह दिल्ली की सड़कों पर आपातकालीन वाहनों के लिए अलग से लेन नहीं है। स्थिति यह है कि सड़कों पर दमकल की गाड़ियों की सायरन सुनकर भी लोग उन्हें रास्ता नहीं देते है। घटनास्थल पर यदि समय से दमकल की गाड़ियां पहुंच जाए तो काफी बचाव हो सकता है। सरकार यदि राजधानी में दमकल, एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों के लिए अलग से लेन का प्रबंध करती है तो यह उल्लेखनीय कदम होगा।

(संतोष शर्मा से बातचीत पर आधारित)

जनमत

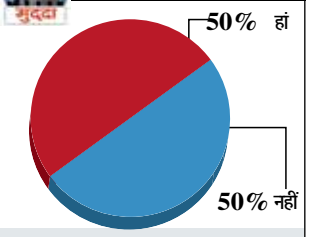

क्या आग की अधिकतर घटनाओं के लिए व्यक्तिगत या संस्थागत लापरवाही जिम्मेदार है?

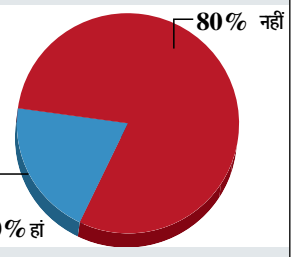

क्या अग्निशमन यंत्रों की नियमित जांच नहीं कराने वाले भवन मालिकों को सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ देना उचित है?

प्रमुख फैक्ट

- करीब 1900 कर्मचारियों के भरोसे है पौने दो करोड़ दिल्ली वासियों का जिम्मा
- राजधानी में प्रस्तावित 14 नए दमकल केंद्रों का निर्माण में है कई अड़चनें
- 1980 से पहले बनी बहुमंजिली इमारतों में नहीं लगे हैं आधुनिक अग्निशमन यंत्र
- राजधानी के कई प्रमुख अस्पतालों को अभी भी नही मिला है विभाग का एनओसी

वर्ष	घटनाएं	घायल	मौत
2008-09	16452	2225	380
2009-10	21314	2598	423
2010-11	22187	2613	447
2011-12	22441	2132	357
2012-13	22786	1979	285
2013-14	22726	2299	372
2014-15	23242	2068	291
2015-16	27089	2099	339

फायर सेफ्टी नियमों का नहीं हो रहा पालन

आगजनी की बढ़ रही घटनाएं चिंता का विषय है। वर्ष 2014 में पूरे देश में आगजनी की घटनाओं में 19513 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें दिल्ली के 170 लोग शामिल थे। अन्य केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना में आगजनी से दिल्ली में ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लोगों की जान नहीं जाए, इसके लिए जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। मास्टर प्लान में पानी, बिजली, सीवर, यातायात, रसोई गैस, दूर संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की तरह आग से सुरक्षा भी महत्वपूर्ण विषय है। दिल्ली के मास्टर प्लान में 1962 से ही फायर सेफ्टी को लेकर ध्यान दिया जा रहा है। इस समय दिल्ली के विभिन्न इलाके में 51 अग्निशमन केंद्र बनाए गए है। आग से बचाव के लिए जरूरी नियम तो है, लेकिन इनका सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक इमारत को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसके लिए जनता के साथ व्यवस्था भी दोषी है। एनओसी लेने की प्रक्रिया जटिल है। लोगों को इसके लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते है, जिससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए लोग एनओसी लेने से बचते है। इसलिए एनओसी हासिल करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की जरूरत है।

मास्टर प्लान दिल्ली 2021 में फायर पोस्ट, अग्निशमन केंद्र , आवासीय सुविधाओं वाला अग्निशमन केंद्र , फायर प्रशिक्षण संस्थान और आपदा प्रबंधन केंद्र बनाने का प्रावधान है। इसलिए पूरी दिल्ली में इनका निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे आग लगने की घटनाओं को रोकने और दुर्घटना होने पर राहत व बचाव कार्य तेजी से किया जा सके। इससे जानमाल के नुकसान में कमी आएगी। साथ ही सभी व्यावसायिक इमारतों, शिक्षण संस्थानों, बड़े अस्पतालों, स्टेडियम और खेल परिसर, सरकारी और निजी कार्यालय, पांच मंजिल व इससे ऊंची नई और पुरानी इमारतों की पहचान कर इनमें आग से बचाव के उपाय की समीक्षा कर मास्टर प्लान तैयार किया जाना चाहिए। आग से बचाव को लेकर समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। जागरूकता नहीं होने के कारण इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। यदि लोग जागरूक और सजग होंगे तो कई दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसलिए सरकार, प्रशासन, स्वयं सेवी संस्थाओं और आम लोगों को मिलकर काम करना होगा। सामूहिक प्रयास से आगजनी की घटनाओं को रोका जा सकता है।

-आरजी गुप्ता
(दिल्ली विकास प्राधिकरण के पूर्व योजना आयुक्त)

(संतोष कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित)